

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर।

क्रमांक :- एफ. 1(74)लेखा/बजट/2016-17/ 19020-19026

दिनांक :- 28/3/2017

जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन,
टोंक, बीकानेर, धौलपुर, नागौर, सिरोही,
प्रतापगढ़, अलवर।

विषय :- पात्र गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश को सहायता राशि दिये जाने हेतु बजट का आवंटन बाबत।

प्रसंग :- निदेशालय गोपालन विभाग का पत्रांक एफ.वी.2()निगो/बजट/2016-17/161-164 दिनांक 09.01.02017, 2013-16 दिनांक 15.03.2017, 2471-74 दिनांक 22.03.2017 एवं 2706 दिनांक 28.03.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में पात्र गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित गौवंश को सहायता राशि का निम्नानुसार बजट का विद्वा (Withdraw)/अतिरिक्त आवंटन किया जाता है। राशि का उपयोग गोपालन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे।

क्र. सं.	नाम कार्यालय	बजट मद मांग संख्या 30 2403-00-789-(03)-[01]-12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)
1	संयुक्त निदेशक, टोंक 17	(-)3,13,000 (-2,64,000 l)
2	संयुक्त निदेशक, बीकानेर 69	(+)3,13,000 (+) 264,000 l
क्र. सं.	नाम कार्यालय	बजट मद मांग संख्या 30 2403-00-102-(20)-[03]-12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)
1	संयुक्त निदेशक, धौलपुर 18	(-)4,66,000
2	संयुक्त निदेशक, नागौर 113	(-)9,21,000
3.	संयुक्त निदेशक, बीकानेर 59	(+)9,87,000
4.	संयुक्त निदेशक, सिरोही 35	(+)12,000
5.	संयुक्त निदेशक प्रतापगढ़ 75	(+)8,000
6.	संयुक्त निदेशक अलवर 67	(+)3,80,000

(रमेश सांखला)
मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक :- एफ. 1(74)लेखा/बजट/2016-17/

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, राज. जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय गोपालन, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (मॉनिटरिंग)।
4. संयुक्त निदेशक, प्रजनन एवं ब्रीडिंग।
5. रक्षित पंजिका।

मुख्य लेखाधिकारी